Quest Journals
Journal of Research in Humanities and Social Science
Volume 7 ~ Issue 7 (2019) pp: 82-88
ISSN(Online):2321-9467
www.questjournals.org

Research Paper

भारत में पंचायती राज का उद्भव एवं संवैधानिक प्रावधान

नरेश कुमार
असिस्टेंट प्रोफ़ेसर राजनीति विज्ञान
राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय हमीरपुर उत्तर प्रदेश

प्रस्तावना

लोकतन्त्र प्रणाली एक राजनैतिक जीवन दर्शन है लोकतंत्र का तात्पर्य केवल राजनीति में लोगों की सहभागिता से नहीं है बल्कि सरकार के सभी दैनिक कामकाज में लोगों को सहभागी बनाकर उत्तरदाई सरकार स्थापित करना भी है।

पंचायती राज व्यवस्था शक्तियों के विकेन्द्रीकरण करके जनता की राजनीतिक सहभागिता प्राप्त करने का एक सशक्त माध्यम है। अतः पंचायती राज संस्थायें सरकार को विकेन्द्रित करने का एक विकसित प्रयास है। भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों के अनुच्छेद 40 में प्रावधान है कि ''राज्य का कर्तव्य होगा कि वह ग्राम-पंचायतों का इस ढंग से गठन करें कि वे स्वशासन की इकाईयों के रूप् में कार्य कर सकें।

राष्ट्र निर्माण और विकास के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवा योजना प्रारम्भ की गई लेकिन सफल न होने पर एक जाँच आयोग नियुक्ति किया गया। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर राज्यों में ग्रामीण स्थानीय शासन की त्रिस्तरीय व्यवस्था के निर्माण की बात रखी गई। 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहर नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में इस योजना का शुभारम्भ किया। विभिन्न प्रयासों के फलस्वरूप 1992 में भारतीय संसद द्वारा पारित किये गये 73 वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज की शुरूआत हुई। 24 अप्रैल 1993 से संपूर्ण भारत में लागू पंचायती राज संस्थायें ग्राम, ब्लाक और जिला स्तर पर कार्य करती है। लेकिन इसके साथ इस अधिनियम के माध्यम से पंचायतों एंव नगरपालिकाओं में महिलाओं एव अनुसूचित जातियों के लिए स्थान आरक्षित किये गये है। ताकि महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चत कर सशक्त बनाना है।

किसी भी राष्ट्र की प्रगति एंव संवृद्धि के लिए वहां की महिलाओं का योगदान पुरूषों से कम नहीं होता है यह सच है कि महिलाओं की कार्यक्षमता किसी भी पहलू में पुरूषों से कम नही होती लेकिन यह इस बात पर निर्भर है कि समाज किस प्रकार का स्थान देता है। यदि समाज में महिलाओं को पुरूषों के समान अधिकार प्राप्त होते है। वो उनका संर्वागीण विकास होता है प्रत्येक क्षेत्र में उनकी सक्रियता बनी रहती है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के महत्व को पूर्णता नजरअदाज किया जाता है।जनसंख्या एंव श्रम शक्ति का महत्वपूर्ण भाग होने के बावजूद भी ग्रामीण महिलायें न सिर्फ उपेक्षित हैं बल्कि अत्यधिक शोषण की शिकार भी है।

पंचायती राज संस्थान भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है।

स्थानीय स्वशासन का अर्थ है स्थानीय लोगों द्वारा निर्वाचित निकायों द्वारा स्थानीय मामलों का प्रबंधन।

ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना करने के लिये 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थान को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई और उन्हें देश में ग्रामीण विकास का कार्य सौंपा गया। आज पंचायती राज संस्थाओं ने 31वर्ष पूरे कर लिये हैं। लेकिन विकेंद्रीकरण को आगे बढ़ाने और ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र को मज़बूत करने के लिये अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है।

भारत में पंचायती राज का उद्भव

भारत में पंचायत व्यवस्था के स्रोत प्राचीन समय में भी देखने को मिलते है वैदिक काल में 'पंचायतन' शब्द का उल्लेख है जिसका तात्पर्य है एक आध्यात्मिक व्यक्ति सहित पाँच व्यक्तियों का समूह। ऋग्वेद में भी में सभा, समिति और विदथ जैसी स्थानीय स्व-इकाइयों का वर्णन मिलता है।सभा और समिति स्थानीय लोकतांत्रिक निकाय थे। शासक कुछ कार्यों में इनकी सहमती लेते थे।रामायण में भी प्रशासन दो भागों- पुर और जनपद (अर्थात् नगर और ग्राम) में विभाजित था।

महाभारत के 'शांति पर्व', कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र' और मनु स्मृति से भी ग्रामों के स्थानीय स्वशासन के पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त होते हैं।

मौर्य काल में स्थानीय शासन का उल्लेख मिलता है ग्राम शासन की सबसे निचली इकाई थी जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था इनके उपर गोप तथा गोप के उपर स्थानिक होता था गुप्तकालीन शासन प्रणाली में नगर का अधिकारी नगर पति कहलाता था ज़िला अधिकारी को विषयपति और ग्राम के प्रधान को ग्रामपति के रूप में जाना जाता था। मौर्य काल में गाँव की व्यवस्था उपर से की जाती थी ,जबकि गुप्त कल में नीचे से की जाती थी ।

अतः इस प्रकार कह सकते है कि प्राचीन समय में भी स्थानीय शासन की एक सुव्यवस्थित शासन प्रणाली विद्यमान थी ।

मध्य काल: राजपूत काल में ग्राम प्रशासन की सबसे निचली इकाई थी ,सल्तनत काल सैनिक शासन था ,जो निरंकुश एवं सेच्छाचारी था दिल्ली के सुल्तानों ने अपने राज्य को प्रांतों में विभाजित किया था जिन्हें 'विलायत' कहा जाता था। ग्रामों को स्वशासन के संबंध में अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर पर्याप्त शक्तियाँ प्राप्त थी। मुगल काल में परगनों को गांवों में विभक्त किया गया था,और गांवों का प्रवंध पंचायते करती थी शासन के तहत जातिवाद और शासन की सामंतवादी व्यवस्था ने धीरे-धीरे ग्रामीण स्वशासन को नष्ट कर दिया।परन्तु मध्य काल में स्थानीय ग्राम प्रशासन में स्त्रियों की भागीदारी का कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता।

ब्रिटिश काल: भारत में स्थानीय स्वशासन का वर्तमान संगठन तथा कार्यप्रणाली का उद्भव ब्रिटिश शासन के अंतर्गत हुआ।

- स्थानीय स्वशासन का प्रारम्भ 1687 चेन्नई नगर निगम की स्थापना के साथ मन जाता है
- वर्ष 1870 में स्थानीय स्वशासन की नई अवस्था भारत में प्रतिनिधि स्थानीय संस्थाओं का उद्भव हुआ।
- वर्ष 1870 के प्रसिद्ध मेयो प्रस्ताव में शक्ति के विकेन्द्रीकरण की बात की गई और स्थानीय निकायों की शक्तियों और उत्तरदायित्वों में वृद्धि कर उनके विकास को गति दी।
- साथ ही वर्ष 1870 में ही शहरी निकाय नगरपालिकाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों की रूपरेखा को प्रस्तुत किया गया।
- भारत में स्थानीय शासन के पीछे मुख्य उद्देश्य साम्राज्जीय वित्त को कम करना सन 1857 के विद्रोह ने राजकोषीय वित्त पर भारी दबाव बना दिया था और स्थानीय सेवा को स्थानीय कराधान से वित्तपोषित करना आवश्यक माना गया। इस प्रकार यह राजकोषीय मज़बूरी थी कि शक्ति के विकेंद्रीकरण पर लॉर्ड मेयो के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया।

लार्ड मेयो के बाद लार्ड रिपन भारत का गवर्नर जनरल हुआ उसने 1882 में इन स्थानीय संस्थाओं स्वशासी बनाने का प्रस्ताव किया । लार्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है ।

o इस सभी बोर्डों में निर्वाचित गैर-अधिकारियों के दो-तिहाई बहुमत को अनिवार्य कर दिया गया और इन निकायों के अध्यक्ष को भी निर्वाचित गैर-अधिकारियों में से ही चुना जाना था।

oइसे भारत में स्थानीय निकायों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है।

वर्ष 1907 में 'केंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन' के गठन से स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को अत्यंत बल मिला।

oइस आयोग ने ग्राम स्तर पर पंचायतों के महत्त्व को चिह्नित किया।और गाँव को स्थानीय शासन की बुनयादी इकाई माना जाये ।

वर्ष 1919 के 'मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार' ने स्थानीय सरकार के विषय को प्रांतों के अधिकार क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया।

oइसमें यह भी अनुशंसा की गई कि जहाँ तक संभव हो स्थानीय निकायों के पास एक पूर्ण नियंत्रण की क्षमता होनी चाहिये और बाहरी नियंत्रण से उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिये।

oइस प्रकार पंचायतों के दायरे में ग्रामों की सीमित संख्या ही थी और इनके कार्य भी सीमित थे। संगठनात्मक और वित्तीय बाधाओं के कारण ये ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन की लोकतांत्रिक और जीवंत संस्थाओं के रूप में परिणत न हो सकीं।

फिर भी वर्ष 1925 तक आठ प्रांतों ने पंचायत अधिनियमों को पारित कर लिया था और वर्ष 1926 तक छह देशी रियासतों ने भी पंचायत राज कानून पारित कर लिये थे। स्थानीय निकायों को अधिक शक्तियाँ भी दी गईं और करारोपण के अधिकारों को कम कर दिया गया। लेकिन इनसे स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं की स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ।

स्वतंत्र काल के बाद

स्वतंत्रता के बाद संविधान के भाग 4 नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में पंचायतों का उल्लेख किया गया और अनुच्छेद 246 के माध्यम से स्थानीय स्वशासन के संबंध में कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को सौंपा गया।लेकिन संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को संविधान निर्माताओं की सर्वसम्मति प्राप्त नहीं थी और इसका सबसे प्रबल विरोध स्वयं संविधान निर्माता बी.आर. अंबेडकर ने किया था।

1.चूँकि नीति निदेशक सिद्धांत बाध्यकारी नहीं हैं न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, परिणामस्वरूप पूरे देश में इन निकायों के लिये सार्वभौमिक या एकसमान संरचना का अभाव रहा।

2.स्वतंत्रत भारत के विकास के लिए 2 अक्तूबर, 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लागू किया

3.इसमें राष्ट्र निर्माण एवं ग्रामीण विकास के सभी आयामों को शामिल किया गया जिसमे लोगों की भागीदारी सुनिश्चित कर ग्राम पंचायतों की सहायता से लागू किया जाना था।

4.वर्ष 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा की भी शुरुआत की गई जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम के सहयोग के लिये थी, लेकिन यह कार्यक्रम भी उतना सफल नहीं रहा कोई।

5.सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवा लोगों में अभिक्रम की प्रवृत्ति जाग्रत करने में असफल रहा इसके अतिरिक्त नौकरशाही की बाधाएँ व राजनितिक स्वार्थ , लोगों की भागीदारी में कमी, प्रशिक्षित एवं योग्य कर्मचारियों की कमी और विशेष रूप से सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लागू करने में ग्राम पंचायतों सहित स्थानीय निकायों की में उत्साह का अभाव।

6.वर्ष 1957 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की विफलता पर विचार करने हेतु बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया।इस समिति की स्थापना आयोजन परियोजना समिति ने की थी। समिति ने बताया की सामुदायिक कार्यक्रम की विफलता का प्रमुख कारण लोगों की भागीदारी में कमी थी।

समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का सुझाव दिया-

1. ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत

2. प्रखंड (ब्लॉक) स्तर पर पंचायत समिति

3. ज़िला स्तर पर ज़िला परिषद

पंचायती राज की प्रगति

लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण तथा पंचायती राज का श्रीगणेश सर्वप्रथम 2अक्तूबर,1959 को राजस्थान में किया गया।आंध्र प्रदेश में यह योजना 1 नवंबर, 1959 को शुरू की गई। और 1960 में असम, मद्रास, 1962 महाराष्ट्र, 1964 में पश्चिम बंगाल तथा इसके बाद अन्य राज्यों गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा एवं पंजाब में भी इसे लागू किया गया।

1.केंद्रीय सरकार जनता दल ने वर्ष 1977 में अशोक मेहता की अध्यक्षता में समिति नियुक्ति की ।इसका उद्देश्य जिला स्तर से ग्राम स्तर तक पंचायती राज संस्थाओं का पुनरीक्षण करना ताकि त्रुटियों और कमियों का पता लगाया जा सके। समिति ने पंचायती राज की अवधारणाओं और रीतियों में नए दृष्टिकोण शामिल किये ।

2.अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की अनुशंसा की जिसमें ज़िला परिषद और मंडल पंचायत शामिल थे।

3.समिति ने पंचायतों की संरचना के लिए कुछ अनुशंसाएँ दी योजना विशेषज्ञता के उपयोग और प्रशासनिक सहायता की दृष्टि से राज्य स्तर से नीचे ज़िले को विकेंद्रीकरण की धुरी माना जाय तथा जिले को समस्त विकास कार्यों का केंद्र बिंदु बनाया जाय ।

4.समिति की अनुशंसा के आधार पर कर्नाटक जैसे कुछ राज्यों ने इस व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू किया।

5.कालांतर में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में भी प्रयास आरंभ हुए। केंद्र सरकार ने पंचायतों के पुनरुद्धार और इन्हें नई ऊर्जा प्रदान करने के तथा जनसहभागिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने विभिन्न समितियों की नियुक्ति की। इनमें से कुछ सबसे महत्त्वपूर्ण समितियाँ थीं-

1. हनुमंत राव समिति (1983)

2. जी.वी.के. राव समिति (1985)
3. एल.एम. सिंघवी समिति (1986)
4. केंद्र-राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग (1988)
5. पी.के. थुंगन समिति (1989)
6. हरलाल सिंह खर्रा समिति (1990)

जी.वी.के राव समिति (1985) ने राज्य की शक्ति को ज़िले स्तर पर पंचायतों को योजना की बुनियादी इकाई बनाने और जिला स्तर पर विशेष रूप से विकेन्द्रीकरण करने की बात कही तथा नियमित चुनाव आयोजित कराने की सिफारिश की।

एल.एम. सिंघवी समिति (1986) ने स्थानीय स्वशासन को सशक्त करने के लिये उन्हें संवैधानिक पहचान,संरक्षण और परिरक्षण हो तथा पंचायतों को कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन सौंपने की सिफारिश की।

संशोधन का चरण-

1.64वें संविधान संशोधन विधेयक (1989) के द्वारा राजीव गांधी सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के ससंवैधानीकरण और उन्हें ज्यादा को सशक्त और व्यापक बनाने का प्रयास किया गया था लेकिन यह विधेयक राज्य सभा में पारित नहीं हो सका क्योंकि विपक्ष द्वारा जोरदार विरोध किया गया।

2.74वाँ संविधान संशोधन विधेयक पंचायती राज संस्थाओं और नगर पंचायतों के लिये एक संयुक्त विधेयक वर्ष 1990 में प्रस्तुत किया गया था लेकिन सरकार गिरने के साथ यह विधेयक भी समाप्त हो गया। इसमें कभी सदन में चर्चा नहीं की गई।

3.प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव सरकार के कार्यकाल में 1991 में 72वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में एक बार फिर पंचायती राज के संवैधानिकरण पर विचार के लिए व्यापक संशोधन प्रस्तुत किया गया।

4.73वें और 74वें संविधान संशोधन को 1992 में संसद द्वारा पारित कर दिया गया।इस अधिनियम ने अनु० 40 को व्यवहारिक रूप दिया । इस अधिनियम के माध्यम से ग्रामीण और शहरी स्थानीय स्वशासन की नींव डाली गई तथा पंचायती राज संस्थाओ को संवैधानिक दर्जा दिया ।

4.(73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम,1992) 24 अप्रैल, 1993 को और(74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम,1992) 1 जून, 1993 को कानून में प्रवर्तित हुए।

73वें व 74वें संशोधन की मुख्य विशेषताएँ

1.इस अधिनियम ने संविधान में दो नए भागों को शामिल किया- भाग-9 'पंचायत' जिसे 73वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया और भाग-9क 'नगरपालिकाएँ' जिसे 74वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया।

2.लोकतांत्रिक प्रणाली की सफलता हेतु ग्राम सभाओं और वार्ड समितियों को बुनियादी इकाइयों के रूप में रखा गया जिनमें मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य शामिल होते हैं।

3. 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों को छोड़कर ग्राम, मंडल और ज़िला स्तरों पर पंचायतों की त्रि-स्तरीय प्रणाली लागू की गई है (अनुच्छेद 243B)।

4.पंचायती राज के सभी स्तरों पर सीटों को लोगों द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरा जायेगा [अनुच्छेद 243C(2)]।

5. यह अधिनियम पंचायत के सभी स्तरों पर जनसंख्या के अनुपात पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये सीटों का आरक्षण किया गया है तथा सभी स्तरों पर पंचायतों के अध्यक्ष के पद भी जनसंख्या में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अनुपात के आधार पर आरक्षित किये गए हैं।

6.उपलब्ध सीटों की कुल संख्या में से एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिये आरक्षित हैं।

7. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित स्थानों में से एक तिहाई सीटें इन वर्गों की महिलाओं के लिये आरक्षित हैं।

8.तीनों स्तरों पर अध्यक्षों के एक तिहाई पद भी महिलाओं के लिये आरक्षित हैं ।

9. यह अधिनियम सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों के लिये एक समान पाँच वर्षीय कार्यकाल निर्धारित करता है और इनके कार्यकाल के समाप्त होने से पहले नए निकायों के गठन हेतु निर्वाचन कराना आवश्यक है।

10.इनकी 5 वर्ष की अवधि के पूर्व विघटन की स्थिति में छह माह के अंदर निर्वाचन कराना अनिवार्य है ।

11.चुनाव प्रक्रिया की तैयारी मतदाता सूची के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण तथा पंचायतों के सभी चुनावों को संपन्न कराने के लिये प्रत्येक राज्य में स्वतंत्र चुनाव आयोग होंगे ।

12.आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिये राज्य विधान मंडल पंचायतों को ऐसी शक्तियां और अधिकार दे सकता है जिससे वह स्वशासन के रूप में कार्य कर सकें और पंचायतों को शक्ति व प्राधिकार प्रदान करने के लिये राज्य विधान मंडल विधि बना सकेगा ।

13.पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करने के लिये 74वें संविधान संशोधन में एक ज़िला योजना समिति का प्रावधान किया गया है ।

14.राज्य सरकारों से बजटीय आवंटन, कुछ करों के राजस्व की साझेदारी, करों का संग्रहण और इससे प्राप्त राजस्व का अवधारण, केंद्र सरकार के कार्यक्रम एवं अनुदान, केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदान आदि के संबंध में उपबंध किये गए हैं ।

15.सभी राज्यों में राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष के बाद एक वित्त आयोग का गठन करेगा ताकि उन सिद्धांतों का निर्धारण किया जा सके जिनके आधार पर पंचायतों और नगरपालिकाओं के लिये पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।

16.संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायती राज के दायरे में 29 विषयों को शामिलकिया गया है।

17. यह कानून नागालैंड, मेघालय और मिज़ोरम राज्य और अन्य विशेष क्षेत्रों पर लागू नहीं होता।

o पश्चिम बंगाल राज्य में दार्जिलिंग ज़िले के पहाड़ी क्षेत्र जिनके लिये दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल मौजूद है।

पंचायती राज संस्थाओं का मूल्यांकन

1.इन 30 वर्षों में पंचायती राज संस्थाओं ने उल्लेखनीय सफलता भी पाई है लेकिन अभी भी बहुत कुछ विफल है जिनका मूल्यांकन उनके द्वारा तय किये गए लक्ष्यों के आधार पर किया जाता है।

2.एक ओर जहाँ पंचायती राज संस्थाएँ ज़मीनी स्तर पर सरकार तथा राजनीतिक सहभागिता के निर्माण में सफल रही हैं वहीं सफल प्रशासन प्रदान करने के मामले में वे विफल रही हैं।

3.73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि स्थानीय निकायों के कुल सीटों में से कम-से-कम एक तिहाई तिहाई सीटें महिलाओं के लिये आरक्षित हों। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये भी स्थानों और सरपंच के पदों का आरक्षण किया गया है।

4.पंचायती राज संस्थाओं के प्रावधान से स्थानीय सरकारों में महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व से महिलाओं के आगे आने और महिला सशक्तिकरण की संभावनाओं में वृद्धि हुई है।

5.महिला प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों में विशेष रूप से स्वस्थ, पेयजल,स्वच्छता और सार्वजनिक सुविधाओं आदि में वृहत निवेश किया गया है।

6.राज्यों ने विभिन्न क्षेत्रों में शक्ति हस्तांतरण कर पंचायतों को वैधानिक सुरक्षा प्रदान की है जिससे स्थानीय सरकारों को व्यापक रूप से सशक्त बनाया जा सके है।

7.लगातार केंद्रीय वित्त आयोगों ने स्थानीय निकायों के लिये बजट आवंटन में वृद्धि की है इसके अलावा प्रदत्त अनुदानों में भी वृद्धि की गई है।

पंचायतीराज की सफलता में चुनौतियाँ

पर्याप्त धन की कमी पंचायतों के लिये समस्या का एक विषय है।पंचायतों के पास वित्त प्राप्ति का कोई मज़बूत आधार नहीं है उन्हें वित्त के लिये राज्य सरकारों पर निर्भर रहना पड़ता है। पंचायतों के क्षेत्राधिकार में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता है ताकि वे स्वयं का धन जुटाने में सक्षम हो सकें।

पंचायतों के कार्यकलाप में राजनीतिक दलों, क्षेत्रीय सांसदों और विधायकों के हस्तक्षेप ने ही उनके कार्य निष्पादन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है।

इस व्यवस्था में कई बार पंचायतों के निर्वाचित सदस्यों एवं राज्य द्वारा नियुक्त पदाधिकारियों के बीच सामंजस्य बनाना मुश्किल होता हैजिससे पंचायतों का विकास प्रभावित होता है।

शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और जल के प्रावधान जैसे विभिन्न शासन कार्यों के हस्तांतरण को अनिवार्य नहीं बनाया गया। इसके बजाय संशोधन ने उन कार्यों को सूचीबद्ध किया जो हस्तांतरित किये जा सकते थे और कार्यों के हस्तांतरण के उत्तरदायित्व को राज्य विधानमंडल पर छोड़ दिया।

सुझाव

पंचायतीराज संस्थाओं को कर लगाने के कुछ व्यापक अधिकार दिये जाने चाहिये।पंचायती राज संस्थाएँ खुद अपने वित्तीय साधनों में वृद्धि करें।वित्तीय उत्तरदायित्व के साथ वित्तीय स्वायत्तता एक दीर्घकालिक समाधान प्रदान कर सकती हैजो वास्तविक राजकोषीय संघवाद को स्थापित करेगा .

जनता के प्रति जवाबदेहिता के आधार पर विषयों को अलग-अलग स्तरों पर विभाजित कर सौंपा जाना चाहिये।

उपाय

सामुदायिकऔर सरकारी एजेंसियों के माध्यम से प्रभावी संयोजन द्वारा सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य स्थिति में सुधार लाकर ग्रामीण लाभार्थियों के जीवन में एक समग्र परिवर्तन लाकर विकास की मुख्य धारा से जोड़ना इस समय की तात्कालिक आवश्यकता है।

सरकार को लोकतंत्र, सामाजिक समावेशन और सहकारी संघवाद के हित में उपचारात्मक कार्रवाई करनी चाहिये।

स्थायी विकेंद्रीकरण और समर्थन के लिये की जनता की माँग को विकेंद्रीकरण के एजेंडे पर केंद्रित होना चाहिये। विकेंद्रीकरण की माँग को समायोजित करने के लिये एक ढाँचे के विकास की आवश्यकता है।

पंचायतों का निर्वाचन नियत समय पर राज्य निर्वाचन आयोग के मानदंडों पर क्षेत्रीय संगठनों / राजनीतिक दलों के हस्तक्षेप के बिना होना चाहिये।

महिलाओं को मानसिक,शैक्षिक एवं सामाजिक रूप से अधिक-से-अधिक सशक्त बनाना चाहिये जिससे निर्णय लेने के मामलों में आत्मनिर्भर बन सके।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. भारत में महिलाओं की स्थिति (2001), राष्ट्रीय महिला सशक्किरण, राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली। पृ0 38।
2. सिन्हा, आर0के0 ''ह्यूमन राइट्स ऑफ दि वर्ल्ड'', इण्डिया पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स पार्ट-प्रथम पृ0 41।
3. शर्मा, गोकुलेश, ''ह्यूमन राईट्स एण्ड सोशल जस्टिस,'' दीप प्रकाशन, नईदिल्ली, पृ0 1-52।
4. एच0एस0ढिल्लन, लीडरशिप एण्ड ग्रुप्स इन साऊथ इण्डिया विलेजेस, प्रोग्राम इवेल्युऐशन आर्गेनाजेशन, प्लानिंग कमीशन, नईदिल्ली, 1955।

5. वैजनाथ सिंह, 'द इम्पेक्ट ऑफ द कम्यूनिटी डेवलपमैंट प्रोग्राम ऑन रूरल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, मद्रास, 1959।
6. हेराल्ड आइजक, इण्डियन एक्स-अनटचेबल्स, जॉनडे एण्ड कं0 न्यायर्क 1965।
7. एम0वैकटरंगैया एवं जी राम रेड्डी, पंचायत राज इन आंध्रप्रदेश, स्टेट चैम्बर ऑफ पंचायत राज, हैदराबाद, 1967।
8. दुर्गा दास बशु भारतीय संविधान की रूपरेखा